न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 3/2019

उनवान

घीसा पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.2.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4018 रकबा 6–18–0 की आराजी वादी को ग्राम पंचायत लोहरवाडा में आयोजित भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों निस्तारण हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश संख्या 255 दिनांक 31.12.01 जारी किया गया। व नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 28.2.03 उक्त नियमन आदेश की पालना तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.11 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.11 है0 सिवायचक दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 4018 रकबा 6–17–0 वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 28.2.02 से वादी के नाम नियमन हुआ है। नियमन आदेश कंमाक 255 दिनांक 21.12.01 में क्रम संख्या 3 पर वादी के नाम आराजी मुतनाजा का नियमन हुआ है। नामान्तकरण संख्या 542 की प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। पैरा संख्या 4, 5 ,7 बाबत कोई साक्ष्य पेश नही किये है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयीं :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी को विधिवत नियमन हुयी है ?
––वादी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

––2

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
— वादी

अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी घीसा के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4018 रकबा 6–18–0 की आराजी वादी को ग्राम पंचायत लोहरवाडा में आयोजित भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों निस्तारण हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश संख्या 255 दिनांक 31.12.01 जारी किया गया। व नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 28.2.03 उक्त नियमन आदेश की पालना तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.11 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। राज0 पैरोकार ने भी वंर्किग जमाबंदी के इन्द्राज को स्वीकार किया है। हाल राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश व नामान्तकरण के उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी। वादी के नियमन को कोई चुतौती नही दी गयी है। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक है अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4018 रकबा 6–17–0 वादी घीसा पुत्र किशनलाल को कैम्प ग्राम पंचायत लोहरवाडा में दिनांक 28.12.01 को नियमन हुयी वादी द्वारा प्रस्तुत नियमन आदेश 255 दिनांक 31.12.01 अनुसार भू संशोधन के निराकरण के संबध में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्र कंमाक/प–6(39) राज–6/2001/60 दिनांक 28.9.01 एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवंटन/नियमितिकरण सलाहकार समिति की बैठक में कम संख्या 3 पर वादी को उक्त आराजी नियमन की गयी। आवंटन समिति की बैठक में अतिक्रमण व नियमन के प्रकरणों का परीक्षण करके राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) नियमन की सिफारिश करने से वादी को उक्त आराजी नियमन करने के आदेश अन्य व्यक्तियों के साथ जारी किये गये। व आदेश कंमाक 255 दिनांक 31.12.01 द्वारा आवंटन प्रभारी ने उक्त आदेश वादी के पक्ष में जारी किये। एवं आवंटन प्रभारी प.स. श्रीनगर ने अपने पत्र कंमाक 255 दिनांक 31.12.01 द्वारा उक्त नियमन आदेश की पालना राजस्व अभिलेख में करने हेतु तहसीलदार नसीराबाद व पटवारी हल्का लोहरवाडा को लिखा है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 542 दिनांक 24.1.02 को भरा गया जो दिनांक 28.2.02 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वंर्किग खसरा नम्बर

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

4018 रकबा 6–17–0 के हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.11 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादी को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। उक्त नियमन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही नही हुयी है। वादी के पक्ष में किये गये उक्त नियमन को आज दिवस तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। साथ ही उक्त नियमन निरस्त होने का काई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी जो वादी को विधिवत नियमन की गयी का नियमन आज दिवस तक कायम है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक आंवटन/नियमन के निरस्त करने की कार्यवाही नही होती तथा सक्षम न्यायालय में आवंटन/नियमन को चुनौती नही दे दी जाती है तब तक आवंटन/नियमन बहाल रहता है। तहसीलदार नसीराबाद ने ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तोवज पेश नही किया है कि वादी को हुये उक्त नियमन के विरूद्व कोई चाराजोही की गयी हो। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.11 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इस्तगासा

<u>*न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद*</u>

उनवान

घीसा बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 3/2019
पेश करने की दिनांक – 16.1.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी ज़ाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.11 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक-------- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 02 सन् **2019** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीर्स कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
वावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner